



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

E-Mail : ds02@upptcl.org



संख्या : 2015-पारे०अनु०-01/पाट्राकालि-2(8)/2024

दिनांक : 21 नवम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र०पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2365-अ०प्र०-07/पाकालि/24-25-अ०प्र०-07/24 दिनांक 09-11-2024 द्वारा अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नत कर उ०प्र०पा०का०लि० को आवंटित निम्नलिखित नव-प्रोन्नत सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन कार्यहित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित क्षेत्र/इकाई को एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभि०सं०/ सैपआई०डी०/जनपद/ सेवानिवृत्ति दिनांक/सर्वश्री	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय	प्रोन्नति उपरान्त सहायक अभियन्ता के पद पर आवंटित क्षेत्र/इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धन प्रकाश/2024118/ 11005634/मुजफ्फरनगर/ 30.11.2039	प्रवर्तन दल-तृतीय, गाजियाबाद।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण (उत्तर-पूर्व), गोरखपुर, उ०प्र०पा०का०लि०।

उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2365-अ०प्र०-07/पाकालि/24-25-अ०प्र०-07/24 दिनांक 09-11-2024 में उल्लिखित अन्य शर्तें व दशाएं यथावत रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या-2015-पारे०अनु०-01/पाट्राकालि-2(8)/2023-24 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. समस्त निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, पारेषण/जानपद, उ०प्र०पा०का०लि०।
5. अधिशासी अभियन्ता-वेब, (सम्बद्ध) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार त्रिवेदी)
उप सचिव (पारेषण-द्वितीय)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, राकित नवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या-2385-अ0प्र0-07/पाकालि/24-25-अ0प्र0-07/24

दिनांक : 09/11/2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि- 01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम/गृह जनपद / जन्मतिथि/ सैप आईडी/ वरि0क्र0 सर्वश्री	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान संख्या	प्रोन्नति उपरान्त आवंटित डिस्कॉम/इकाई
1	2	3	5	4
1	धन प्रकाश/रतिराम/ मुजफ्फरनगर/21.11.1979/ 11005634/2012/CEH/383	प्रवर्तन दल-तृतीय, गाजियाबाद।	2024118	उ0प्र0पा0द्रां0का0लि0

- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
- सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी, उन्हें अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि -
(क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
- उपरोक्त अभियन्ता की पारिषण स्कन्ध में अग्रेतर तैनाती हेतु इनका डिस्कॉम क्षेत्र परिवर्तित कर दिया जाये तथा गृह जनपद डिस्कॉम क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाये।
- कारपोरेशन के कार्या0 ज्ञाप सं0-2777-ज0श0प्र0सु0 एवं प्रशि0-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ता की Joining/Relieving ई0आर0पी0 प्रणाली पर ही किया जाना है।
- सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ता, यथा शीघ्र अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत अभियन्ता को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
- वर्तमान चयन वर्ष में इस प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि तक किसी अवर अभियन्ता के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में वृहद दण्ड प्रदान किया गया है तो उस अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
- यह प्रोन्नति इस आधार पर दी जा रही है कि सम्बन्धित डिस्कॉम/इकाई द्वारा उपरोक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जाँच आदि लम्बित नहीं सूचित है अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अवर अभियन्ता की प्रोन्नति निरस्त मानी जाएगी व अलग से आदेश किया जायेगा।

2

2

क्रमशः.....2